नई दिल्ली, 17 जून, 1976

सा०का०नि० 980.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 और धारा 88 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रथम विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पारादीप पत्तन न्यास पेंशन निधि विनियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ।

(ख) "बोर्ड" से पारादीप पत्तन न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है,

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "कर्मचारी" से बोर्ड का ऐसा कर्मचारी चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी अभिप्रेत है, बोर्ड के अधीन सेवा करते हुए जिसकी मृत्यु हो गई हो या सेवानिवृत्त हो गया है या जिसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण का ऐसा स्थायी या अस्थायी कर्मचारी सम्मिलित नहीं है जो बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर है;

(ङ) "निधि" से विनियम 3 के अधीन स्थापित पारादीप पत्तन न्यास पेंशन निधि अभिप्रेत है;

(च) "सामान्य लेखा" से बोर्ड का सामान्य लेखा अभिप्रेत है ;

(छ) "पेंशन" के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन भी है;

(ज) "पेंशन नियम" से पेंशन, उपदान और पेंशन के संराशीकरण की व्यवस्था करने वाले सभी विद्यमान नियम और आदेश अभिप्रेत है, जो पारादीप पत्तन न्यास (नियमों या आदेशों को

बदलने या उन के अन्तरण करने के लिए इस निमित्त बनाए जाने वाले अन्य विनियमों के आधार पर प्रवृत्त बने रहते हैं ।

3. निधि का स्थापन :—एक निधि की स्थापना की जाएगी जिसका नाम पाराद्वीप पत्तन न्यास पेंशन निधि होगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) सामान्य सेवा से ऐसे वार्षिक अभिदाय, जिसे अध्यक्ष कर्मचारियों की पेंशन और उपदान के संबंध में आने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त समझे;

(ख) निधि संबंधी विनिधान पर आने वाला ब्याज और लाभ;

(ग) निधि को दान या संदान के रूप में दी गई कोई अन्य राशि;

(घ) पेंशन या उपदान के ऐसे अतिरिक्त संदाय का प्रतिदाय, जो वसूल किया जाए ।

4. निधि का प्रशासन :—निधि का प्रशासन अध्यक्ष करेगा ।

5. निधि से व्यय : निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए निधि में से व्यय उपगत किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसी पेंशन और कुटुम्ब पेंशन का संदाय जो यथास्थिति, कर्मचारियों को या उनके कुटुम्ब के सदस्यों को या उनके आश्रितों को पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो;

(ख) उपदान, मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान और सेवानन्त उपदान का ऐसा संदाय जो यथास्थिति, कर्मचारियों को या उनके कुटुम्ब के सदस्यों को या उनके आश्रितों को पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो;

(ग) पेंशन के ऐसे संराशीकृत मूल्य का संदाय जो पेंशन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय हो;

6. निधि का संवितरण :—कर्मचारी को या उनके कुटुम्ब के सदस्यों को या उनके आश्रितों को प्रत्येक मामले में अध्यक्ष की विनिर्दिष्ट मंजूरी के अधीन पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार निधि में से संवितरित किया जाएगा ।

7. निधि का विनिधान :—अध्यक्ष, संपूर्ण निधि या उसके किसी अंश को लोक प्रतिभूतियों या अन्य ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे ।

[एफ० पी० ई० पी० 16 (75)]

श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 1976

G.S.R. 980.—In exercise of the powers conferred by section 126, read with section 28 and sub-section (1) of section 88, of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following first regulations namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These regulation may be called the Paradip Port Trust Pension Fund Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—